124116

गोहद जिला-भिण्ड (म प्र)

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि। अनावेदिका श्रीमती प्रीति विकास कांकर अधिवक्ता। प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा हेतु पेश हुआ। आवेदक अधिवक्ता श्री गुप्ता की ओर से आवेदनपत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति के आधार पर तलाक का आवेदन पेश कर दिया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, इस कारण आवेदक इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है।

अतः उनके निवेदन पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आर्य)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.-20,

गोहद जिला भिण्ड मध्यम्बद्श

(के0सी0 उपाध्याय)

(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20

गोहद जिला भिण्ड

(के०पी० रोडौर)

खण्डपीठ क.—20

गोहद जिला भिण्ड

GRPG-73-Forms-24-6-16-3,00,000 Forms.